Women University Press
Jayoti Publication Desk
ISBN No. : 978-93-94024-57-1

भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ

भाग–1

Administrative Institutions in India -I

जेवीएन प्रो.(डॉ.) संजय बुन्देला

JAYOTI VIDYAPEETH WOMEN'S UNIVERSITY, JAIPUR
UGC Approved Under 2(f) & 12(b) | NAAC Accredited | Recognized by Statutory Councils

Printed by :
JAYOTI PUBLICATION DESK

Published by :
Women University Press
Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur

Faculty of Education & Methodology

Title: भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ भाग -I Administrative Institutions in India -I

Author Name: Dr. Sanjay Bundela

Published By: Women University Press

Publisher's Address: Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur
Vedant Gyan Valley,
Village-Jharna, Mahala Jobner Link Road, NH-8
Jaipur Ajmer Express Way,
Jaipur-303122, Rajasthan (India)

Printer's Detail: Jayoti Publication Desk

Edition Detail:

ISBN: 978-93-94024-57-1

Copyright © - Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur

भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ

(Administrative Institutions in India)

भाग –1

(Part-1)

डॉ संजय बुन्देला

प्रोफेसर

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एण्ड मैथोडोलॉजी

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय ,जयपुर (राजस्थान)

ज्योति प्रेस

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय ,जयपुर (राजस्थान)

अनुक्रमणिका (Index)

अध्याय (Chapter)

1. लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं एवं उनकी भूमिका
   (Administrative Institutions and their Role in Democratic Socialist Society)
2. शासन (सरकार)की संरचना : विधायिका
   (Structure of Governance (Government): Legislature
3. शासन (सरकार)की संरचना : कार्यपालिका
   (Structure of Governance (Government): Executive
4. शासन (सरकार)की संरचना : न्यायपालिका
   (Structure of Governance (Government): Judiciary
5. राजनीतिक दल
   (Political Party)
6. **हित समूह /दबाव समूह (Intereste Groups /Pressure Groups)**

1. लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं एवं उनकी भूमिका) Administrative Institutions and their Role in Democratic Socialist Society)

प्रस्तावना

प्रत्येक समाज के स्वरूप से उस समाज की प्रशासनिक संस्थाओं का स्वरूप तय होता है | किसी भी देश की प्रशासकीय व्यवस्था अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है |

संपूर्ण विश्व में दो प्रकार के समाज पाए जाते हैं– लोकतांत्रिक समाज तथा समाजवादी समाज | लोकतांत्रिक समाज में शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से अनुशासित रहती है | शासन की शक्तियां किसी एक व्यक्ति या विशेष वर्ग में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है जबकि समाजवादी समाज में समाज पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहता है सभी शक्तियां राज्य में निहित होती है |

लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन एवं समाजवादी समाज में राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन माना जाता है | कुछ राष्ट्र ऐसे भी होते हैं जहां लोकतांत्रिक तथा समाजवादी समाज दोनों को अपनाया गया है | यह दोनों ही व्यवस्था उस देश में पाई जाती है उन्हीं राष्ट्र में भारत एक है |

लोकतान्त्रिक समाज तथा समाजवादी समाज की विशेषताएं (Characteristics of Democratic Society and Socialist Society)

A. लोकतांत्रिक समाज (Democratic Society)

लोकतंत्र ग्रीक शब्द DEMOS (लोक) तथा CRATIA (सत्ता) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोगों की सत्ता या शासन स ऐसे समाज जिसमें लोकतंत्र के मूल्यों तथा आदर्शों को स्वीकार किया जाता है उन्हें लोकतांत्रिक समाज कहा जाता है स लोकतांत्रिक समाज की प्रमुख विशेषताएं ध्लक्षण निम्नलिखित हैं –

1 इस प्रकार के समाज में सभी निर्णय खुले विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं ।

2. निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण समाज को शामिल किया जाने का प्रयास किया जाता है ।

3. निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का होता है ।

4. अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं ।

B. समाजवादी समाज (Socialist Society)

व्यक्तिवादी या हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा के बाद पूंजीवाद को बढ़ावा मिला तथा निरंकुश शासन का उदय हुआ , जिसमें जनता का शोषण किया । इन परिस्थितियों ने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया जिसे समाजवादी विचारधारा कहा जाता है आधुनिक समय में यही विचारधारा अधिक लोकप्रिय है ।

समाजवादी समाज के निम्नलिखित विशेषताएं हैं–

1. समाजवादी समाज में राज्य का कार्य क्षेत्र अधिक होता है ।

2. राज्य का मुख्य लक्ष्य आर्थिक , सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय एवं समानता लाने का रहता है ।

3. राज्य प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को अधिक प्रोत्साहित करता है ।

4. यहां राज्य को अधिक महत्व मिलता है ।

लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति / लक्षण (Nature / characteristics of administrative institutions in democratic socialist society)-

एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति निम्न प्रकार से देखी जा सकती है–

1. प्रशासनिक संस्थाओं पर राजनीतिक पर्यावरण /परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है (Administrative institutions have an impact on the political environment)

किसी भी देश की प्रशासनिक संस्थाएं उस देश के राजनीतिक परिवेश से प्रभावित होती है । संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्वरूप होता है ।

अमेरिका जैसे अध्यक्ष प्रणाली वाले देश में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संसदीय देशों की तुलना में अधिक पृथक्करण पाया जाता है । अमेरिका में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता है । यहा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है । जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका में से बहुमत दल के नेता द्वारा कार्यपालिका का चयन होता है ।

2. प्रशासनिक संस्थाओं पर राजनीतिक दलों का प्रभाव पड़ता है (Political Parties Have Influence over Administrative Institutions)

राजनीतिक विचारक राजनीतिक दलों को सरकार का चौथा निकाय मानते हैं । राजनीतिक दलों का सरकार के गठन में प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता है परंतु प्रशासनिक संस्थाओं के कार्य संचालन में भी उनकी भूमिका होती है । लोकतंत्र के देशों के प्रशासन में राजनीतिक दलों द्वारा रक्त संचार का कार्य किया जाता है ।

3. प्रशासनिक संस्थाओं पर गैर राजनीतिक संगठनों का प्रभाव पड़ता है (Effect of Non-Political Organizations on Administrative Institutions)

सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रेस दबाव समूह और अन्य स्वैच्छिक संगठनों का प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यविधि को प्रभावित किया जाता है ।

4. प्रशासनिक संस्थाओं के बहु स्तरीय संगठन होते है (Administrative institutions have multi-level organizations)

भारत जैसे लोकतांत्रिक समाजवादी देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है । यहां बहु स्तरीय प्रशासन पाया जाता है । केंद्रीय प्रशासन ,राज्य प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ।

5. प्रशासनिक संस्थाओं पर जनमत का प्रभाव पड़ता है (Impact of public opinion on administrative institutions)

लोकतांत्रिक समाज में प्रशासन तंत्र जनमत की अधिक चिंता करता है । वह जनता के हितों के लिए संवेदनशील होता है । प्रशासकीय व्यवस्था जनता की उपेक्षा नहीं कर पाती है । जनमत के दबाव के कारण कई बार उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव करना होता है ।

6. नीति निर्माण और उसका क्रियान्वयन (Policy formulation and implementation)

लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा न केवल नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है बल्कि उनके द्वारा नीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है ।

7. नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है (Important role of Bureaucracy)

लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में कल्याणकारी कार्यों का दायित्व नौकरशाही पर ही रहता है। उनके द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं अतः यह समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

8. प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका सकारात्मक होती है (The role of administrative institutions is positive)

लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। यह सामाजिक न्याय की स्थापना करती हैं।

लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थानों की भूमिका (Role of Administrative Institutions in Democratic Socialist Society)

लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासन संस्थाओं की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है—

1. अनिवार्य कार्य (Essential Functions)

प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत सबसे अनिवार्य कार्यों में ,आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा विदेशी आक्रमण से रक्षा करना है। सेना तथा पुलिस से संबंधित संस्थाएं इन कार्यों को संपन्न करती है।

2. सामाजिक विकास संबंधी कार्य (Social Development Functions)

सामाजिक विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक संस्थाएं विभिन्न सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाती है। इसके अंतर्गत निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी करती हैं।

समाज में फैली बुराइयों को नियंत्रित करने का काम भी प्रशासनिक संस्थाएं ही करती है ।

लोक कल्याणकारी योजनाओं का यह निर्माण करती हैं और उन्हें लागू भी करती हैं ।

3. आर्थिक विकास संबंधी कार्य (Economic Development Functions)

आर्थिक विकास के उद्देश्य से प्रशासनिक संस्थाएं अर्थव्यवस्था का संचालन करती है ।

प्रशासनिक संस्थाएं दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं बनाती है । इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की गति को यह नियंत्रित करती हैं स भारत में नीति आयोग प्रशासनिक संस्था का कार्य करता है ।

4. राजनीतिक विकास संबंधी कार्य (Political Development Functions)

देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तभी हो सकती है जब उस देश का राजनीतिक विकास हो ।

देश के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक न्याय मिले प्रशासनिक संस्थाएं अपने स्तरों पर चुनाव की व्यवस्था करती हैं । चुनाव संबंधी कार्य निष्पक्ष हो, इसके लिए संस्थाओं द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते हैं ।

5. विभिन्न कार्य (Other Functions)

उपरोक्त कार्यो के अलावा प्रशासनिक संस्थाएं अन्य कार्य भी करती हैं जिसमें प्रमुख उद्योगों का संचालन करना ,यातायात के साधनों का संचालन करना और जल विद्युत तथा अस्पतालों का संचालन करना आदि शामिल है ।

संदर्भ सूची –

(I) Gettel "Democracy is that form of government in which the mass of the population possesses the right to share in the exercise of sovereign power."

(II) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(III) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशर्स

2. शासन (सरकार)की संरचना : विधायिका

Structure of Governance (Government): Legislature

प्रस्तावना

राज्य एक अमूर्त संगठन हैं | राज्य के चार भाग होते हैं –सरकार ,संप्रभुता ,निश्चित भू–भाग ,और जनसंख्या | इनमे एक महत्वपूर्ण भाग हैं–सरकार | गार्नर के शब्दों में –“राज्य की इच्छाओ की पूर्ति सरकार नामक संगठन करता हैं | “

शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत /नियम (Doctrine of Separation of Powers)

शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के समर्थक विचारक मान्टेस्क्यू हैं | मान्टेस्क्यू ने शासन के कार्यो को तीन भागो में विभाजित किया | विधायिका / व्यवस्थापिका को कानून निर्माण ,कार्यपालिका को कानून के क्रियान्वयन तथा न्यायपालिका को कानून की व्याख्या करने एवं उल्लंघन करने पर दंड देने की बात कही |

मान्टेस्क्यू का मानना था कि शासन की तीनो शक्तियों को अलग .अलग व्यक्तियों के हाथो में देना चाहिये | अगर एक व्यक्ति के हाथो में तीनो शक्तिया होगी तो सभी के लिए घातक होगा |

व्यवस्थापिका को देशों में अलग अलग नामो से जाना जाता हैं |

क्रम स	देश	व्यवस्थापिका का नाम
1	भारत	संसद (Parliament)
2	अमेरिका	कांग्रेस (Congress)
3	जापान	डाइट (Diet)
4	नेपाल	राष्ट्रीय पंचायत

5	अफगानिस्तान	शोरा (Shora)
6	ईरान	मजलिस (Majles)
7	पोलैण्ड	सियम (Seym)
8	स्वीट्जरलैण्ड	संघीय सभा (Federal Assembly)
9	स्वीडन	रिक्सडॉग (Riksdag)

व्यवस्थापिका के कार्य (Fuctions of Legislature)

व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य तो कानून बनाना है, पर यह अन्य कई प्रकार से उत्तरदायित्व भी निभाती है, निम्नलिखित अभिव्यक्त किया जा सकता है–

1. कानून बनाना (Law Making)–

बदलती आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर जनहित को दृष्टि में रख कर कानून बनाना व्यवस्थापिका का काम है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह कार्य और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्यों कि शासन का उद्देश्य कुछ लोगों या वर्गों के हितों का ध्यान रखना नहीं अपितु व्यापक हित का लक्ष्य सामने रखकर नीतियाँ बनाना है।

2. कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over Executive)–

व्यवस्थापिका द्वारा बनाये कानूनों का क्रियान्वयन कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है। व्यवस्थापिका देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है अतः उसके द्वारा बनाये कानूनों की सही अर्थ व भावना के साथ अनुपालना व क्रियान्वयन होना आवश्यक है। कार्यपालिका द्वारा पार्टी हित में निर्णय लिये जाने की संभावना होती है जो हो सकता है कि सार्वजनिक हित के मापदण्डों पर खरा न उतरता हो, अतः व्यवस्थापिका की सजग दृष्टि आवश्यक है।

संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए अनेक पद्धतियाँ काम में ली जाती हैं, यथा प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती व निन्दा प्रस्ताव आदि।

3. वित्त पर नियंत्रण (Control over Finances)–

राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण के माध्यम से व्यवस्थापिका एक ओर तो जनता के कल्याण पर धन व्यय को सुनिश्चित करती है तो दूसरी ओर कार्यपालिका पर भी अंकुश रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा नये कर लगाने व पुराने करों को समाप्त करने या संशोधित करने के अधिकार का प्रयोग किया जाता है।

4. विचार विमर्श संबंधित कार्य(Discussion related work) –

व्यवस्थापिका के लिए प्रयुक्त पार्लियामेन्ट शब्द फ्रेन्च शब्द पार्लमेन्ट से मिलकर बना हैं ,जिसका अर्थ हैं–विचार के लिए सभा । विधेयक के साथ ही व्यवस्थापिका विचार विमर्श के मंच की भूमिका ग्रहण कर लेती है जहां विषय के विविध पहलुओं पर चर्चा होती है। जनसंचार माध्यमों के खुले प्रयोग के युग में यह विचार विमर्श सीधे जनता तक पहुंचता है। जनता व समाज के प्रबुद्ध वर्ग की प्रतिक्रिया, संदेह, शिकायतें, अपेक्षाएँ तथा सम्भावनाएँ संचार माध्यमों के मार्ग से होती हुई विधायिका तक पहुंचती है और विधायन प्रक्रिया को प्रभावित भी करती हैं।

5. संविधान संशोधन संबंधित कार्य(Constitution Amendment related work) –

किसी भी देश का संविधान अपने निर्माण काल की भावनाओं के अनुरूप निर्मित होता है । यहा परिवर्तन व संशोधन जन आवश्यकताओं व भावनाओं के अनुकूल आवश्यक है। सभी देशों में संविधान में संशोधन का दायित्व व्यवस्थापिका द्वारा निभाया जाता है यद्यपि विभिन्न देशों में संशोधन की पद्धतियाँ अलग–अलग हैं। उदहारणार्थ भारत में संविधान संशोधन की कई पद्धतियाँ है, जबकि इंग्लैण्ड में सामान्य बहुमत से संविधान में संशोधन का प्रावधान है। संविधान संशोधन से व्यवस्थापिका बदलती परिस्थिति व आवश्यकताओं को विकास मार्ग पर सतत चलते रहने में सहायता प्रदान करती है।

6. चुनाव संबंधित कार्य (Election related work) –

विश्व के सभी देशों की विधायिका अपने लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर आदि का निर्वाचन करती हैं। विभिन्न देशों की व्यवस्थापिकाएँ इसके अतिरिक्त अन्य निर्वाचन कार्यों के दायित्व का भी निर्वहन करती हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते है।

स्विट्जरलैण्ड की व्यवस्थापिका भी निर्वाचन सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन करती है। स्विट्जरलैण्ड की संघीय सभा मंत्रिपरिषद सदस्यों एवं न्यायाधीशों का करती हैं ।

7. न्यायिक संबंधित कार्य (Judicial related work)–

विभिन्न देशों में विधायिका किसी न किसी रूप में न्यायिक भूमिका का भी निर्वहन करती है। भारत में संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। एक सदन द्वारा आरोप लगाने पर दूसरे सदन द्वारा उसकी जाँच की जाती है। अमरीका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायाधीशों पर लगाये गये महाभियोग के सम्बन्ध में निर्णय सीनेट द्वारा किया जाता है।

8. नागरिको तथा कार्यपालिका के मध्य पुल संबंधित कार्य (Work related to bridge between citizens and executive)–

विधायिका के बहुमत दल के कुछ प्रभावशाली सदस्य कार्यपालिका में जाते हैं । विधायिका हि कार्यपालिका तथा मतदाताओं के मध्य सही संबंध बनाने हेतु पुल का कार्य करती हैं ।

9. राजनीतिक शिक्षण संबंधित कार्य (Work related to Political Education)–

लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का जागरूक होना तथा राजनैतिक सहभागिता आवश्यक है। यह भी सम्भव है जब जनता में राजनीतिक गतिविधियों के प्रति समझ तथा उत्सुकता हो। व्यवस्थापिकाएँ यह दायित्व अच्छी तरह से निभाती हैं। वहां होने वाले विचार विमर्श, विवाद, तर्क, वितर्क को जनता अपने घर में बैठ कर देख सुन सकती है । निश्चित रूप से राजनीतिक घटनाक्रम के प्रति कौतूहल जागृत करता है और धीरे–धीरे राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के प्रति उत्सुकता व समझ भागीदारी की ओर प्रेरित करते है।

10. आयोग तथा समितियों की नियुक्ति संबंधित कार्य (Work related to appointment of commission and committees)–

व्यवस्थापिका द्वारा सभी देशों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए समितियों व आयोगों का गठन किया जाता है। ये
आयोग व समितियाँ एक निश्चित अवधि के लिए गठित किये जाते हैं । भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए समय समय पर केन्द्र व राज्य द्वारा आयोग गठित किये जाते हैं। अमेंरिका में जांच समियिाँ अत्यन्त प्रभावशाली भूमिका निभाती है।ये आयोग व समितियाँ कार्यपालिका पर अंकुश रखने में काफी सफल रहते है।

सरकार के अंग – व्यवस्थापिका के पतन के कारण (Causes of Decline of Legislatures)–

व्यवस्थापिका के पतन के निम्नलिखित कारण है)The following are the causes for the decline of Legislature**)**–

1. सरकारी कार्यों की बढ़ती जटिलता तथा तकनीकी प्रकृति (Increasing complexity and technical nature of government functions)–

विज्ञान तथा तकनीक के विकास के कारण प्रशासनिक समस्याओं की प्रकृति अत्यंत जटिल हो गई है । व्यवस्थापिका के सदस्य तकनीकी रूप से योग्य और सक्षम नहीं होते । इसलिए यह होता है कि व्यवस्थापिका ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए प्रारंभिक जिम्मेदारी मंत्रियों पर छोड़ देती है ।

2. कार्यभार की अधिकता तथा समय की कमी)Excess of workload and shortage of time)–

सरकार को पहले की तुलना में अत्यधिक कार्यों का निष्पादन करना होता है । नागरिकों की इन बढ़ती की अपेक्षाओं से व्यवस्थापिका के कार्यभार में अधिक वृद्धि हो गई है ।

3. प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था)Delegation of Delegated Legislation)–

प्रदत व्यवस्थापन की इस शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका अपने कानून बनाने के मूल दायित्व को कार्यपालिका पर छोड़ देती है । आवश्यक नियम तथा उप नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका द्वारा वहन की जाती है ।

4. एक दलीय व्यवस्था)One party system)–

व्यवस्थापिका की शक्तियों को कार्यपालिका ने सही अर्थ में राजनीतिक दलों के माध्यम से छीना है । संसदीय प्रजातंत्र में एक ही दल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में प्रभुत्व की स्थिति में होता है । जिस दल का व्यवस्थापिका में बहुमत होता है , उसी दल की कार्यपालिका होती है । इसलिए समर्थन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है ।

5. कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग किया जाना (Dissolution of the following house by the Executive)–

कार्यपालिका का यह अधिकार है कि वह व्यवस्थापिका के लोकप्रिय प्रथम सदन को भंग करने की सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा और आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दे सकती है । अपने विशेष अधिकार के कारण कार्यपालिका सभी प्रकार के विषयों पर व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त करती रहती है ।

6. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यपालिका के प्रमुखता)Executive prominence in the international arena) –

कार्यपालिका द्वारा सब कुछ तय होने के बाद संधि, समझौते इत्यादि का अनुमोदन व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है ।

7. सकारात्मक राज्य का उदय होना)The emergence of a positive state)–

वर्तमान समय में सरकार नकारात्मक भूमिका की जगह सकारात्मक कार्य करने लगी है । समाज का बहुमुखी विकास करना सरकार का दायित्व हो गया है ।

8. व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति का कार्यपालिका द्वारा तय किया जाना)To decide the working of the Legislature by the executive)–

व्यवस्थापिका का अधिवेशन कब बुलाया जाए ? इस बात का निर्धारण कार्यपालिका द्वारा किया जाता है । व्यवस्थापिका के कार्य पद्धति और कार्यसूची के निर्धारण में भी कार्यपालिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

9. प्रशासकीय न्याय प्रणाली)Administrative judicial system)–

प्रशासकीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था ने कार्यपालिका को न्याय क्षेत्र में प्रवेश दिला दिया है । जिससे धीरे–धीरे उसकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है ।

10. व्यवस्थापिका के प्रतिभाशाली सदस्यों को कार्यपालिका में स्थान दिया जाना (Giving talented Legislature members a place in the executive)–

सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बहुमत दल में से ही बनाई जाती है । प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का चुनाव करते हैं और व्यवस्थापिका के सर्वाधिक प्रतिभाशाली योग्य और प्रभावशाली सदस्यों को कार्यपालिका में शामिल करते हैं । व्यवस्थापिका लगभग नेतृत्व हो जाती है ।

संदर्भ सूची –

(I) Prof. CB Gena, Comparative Politics and Institutions, Vikas Publishing House, Delhi

(II) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(III) Garner, Political Science and Government, Laxminarayan Aggarwal, Agra

(IV) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशर्स

3. शासन (सरकार)की संरचना : कार्यपालिका

Structure of Governance (Government): Executive

प्रस्तावना

राज्य की ईच्छा को कार्य रूप में परिवर्तित सरकार करती हैं । सरकार के कार्य तीन भागो में विभक्त हैं । सरकार का कार्यकारी महत्वपूर्ण भाग कार्यपालिका हैं । सरकार के कानून बनाने का काम विधायिका ,कानूनों को लागु करने का काम कार्यपालिका तथा इनको व्याख्या करने का न्यायपालिका करती हैं ।

कार्यपालिका से तात्पर्य एवं परिभाषा

कार्यपालिका वह संस्था हैं जो विधायिका द्वारा बनाये कानूनों को लागु करती हैं । गिलक्राइस्ट के अनुसार –कार्यपालिका सरकार का वो भाग हैं जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिवर्तित करती हैं ।

कार्यपालिका को दो अर्थों में विभाजित किया जा सकता हैं –

1 . व्यापक और 2. संकुचित अर्थ में । व्यापक अर्थ में कार्यपालिका का अर्थ हैं –राज्याध्यक्ष से लेकर सभी कर्मचारी । इनका सम्बन्ध राज्य और उसके प्रशासन होता हैं । 2. संकुचित अर्थ में– कार्यपालिका में वो ही संस्था शामिल होती हैं जिनका सम्बन्ध नीति निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन से हैं ।

कुछ चिंतको ने कार्यपालिका को दो भागो में विभाजित हैं –1 . राजनीतिक कार्यपालिका 2. प्रशासनिक कार्यपालिका । राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासन से सम्बंधित नीति निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन का कार्य करती हैं । जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की मदद करती हैं ।

कार्यपालिका के प्रकार (Types of Executive)

वर्तमान समय में अलग अलग देशों में अलग अलग कार्यपालिका देखने को मिलती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं–

1 .संसदीय तथा अध्यक्षीय (अध्यक्षात्मक)कार्यपालिका (Parliamentary and Presidential Executive)

संसदीय कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ घनिष्ठ संबंध होता है तथा कार्यपालिका तभी तक पद पर रह सकती है जब तक वह व्यवस्थापिका अपना बहुमत रखे । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होते है। इस प्रकार की कार्यपालिका में मंत्रिमण्डल के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत इस प्रकार की कार्यपालिका का उदाहरण है।

अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, विधायिका से स्वतंत्र होती है, दोनो की अपनी –अपनी शक्तियां होती हैं, तथा दोनो एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नही करते। राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष तथा उनके मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते तथा इसलिये मंत्री व्यवस्थापिका प्रति के उत्तरदायी भी नहीं होते। अमरीकी राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

2 .नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका (Nominal and Real Executive)

संसदीय व्यवस्था वाले देशो के सांविधानिक प्रधान नाममात्र की कार्यपालिका हैं। सांविधानिक स्तर पर शासन की सभी शक्तियाँ मिली रहती हैं परन्तु इसका उपयोग व्यवहार में मंत्रिमण्डल द्वारा किया जाता हैं । इंग्लैण्ड का राजा या रानी और भारत में राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका का उदाहरण हैं ।

प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका हैं।देश की शासन सम्बंधित वास्तविक शक्तियाँ इनके पास रहती हैं ।

3 . वंशानुगत (पैतृक) तथा निर्वाचित कार्यपालिका (Hereditary and Elected Executive)

जिन देशों में राजतंत्र किसी न किसी रूप में अभी भी है वहां वंशानुगत कार्यपालिका देखी जा सकती है। ऐसे देशों में शासक की मृत्यु के पश्चात् उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहरण

करता है जो उसका पुत्र या अन्य उत्तराधिकारी हो सकता है। इस प्रकार की पैतृक कार्यपालिका के उदाहरण ब्रिटेन तथा जापान हैं।

जब कार्यपालिका प्रमुख को पद निर्वाचन द्वारा प्राप्त होता है तो वह निर्वाचित कार्यपालिका कहलाती है। अमरीका में प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है जबकि भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

4 . एकल एवं बहुल कार्यपालिका (Single and Plural types of Executive)

एकल कार्यपालिका का अर्थ है – निर्णय निर्माण की कार्यकारी शक्तियां एक मुखिया के हाथों में हो वर्तमान समय में इसका सशक्त उदाहरण राष्ट्रपति अमेरिका का है । एकल कार्यपालिका का प्रमुख उदाहरण अमेरिका है। यहां राष्ट्रपति ही प्रमुख शासन व संवैधानिक का अध्यक्ष होता है। नाममात्र कार्यपालिका का अस्तित्व नहीं होता है। जबकि बहुल कार्यपालिका का प्रमुख उदाहरण स्विट्जरलैण्ड है। यहां 7 सदस्यों के सामूहिक कार्यो से शासन का संचालन क्रम से चलता है। यहां कार्यपालिका शक्ति किसी एक आदमी में निहित न होकर व्यक्तियों के समूह में निहित रहती है । स्विट्जरलैंड में कार्यकारिणी शक्ति संघीय परिषद में निहित होती है ।

5 . तानाशाही या अधिनायकवादी कार्यपालिका (Dictatorship Executive)

कुछ राजनीतिक चिंतक, कार्यपालिका का यह एक प्रकार भी मान कर चलते हैं । जब देश की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो और वह व्यक्ति देश का सर्वोच्च बन जाए , जब वह व्यक्ति किसी लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित ना होकर सेना की सहायता से या विशेष दल की सहायता से केंद्र पर अपना राज्य कर ले तो ऐसी व्यवस्था को अधिनायकवादी या तानाशाही कार्यपालिका कहा जाता है । इस प्रकार की व्यवस्था चीन , हंगरी. युगोस्लाविया इत्यादि देशों में देखने को मिलती है ।

कार्यपालिका का कार्यकाल (Executive Tenure)

कार्यपालिका के कार्यकाल के सम्बन्ध में विश्व के देशों में विविधता पाई जाती है। सामान्यतया 4–5 वर्ष के कार्यकाल को कार्यपालिका के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। भारत तथा फ्रांस की कार्यपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष है।

कार्यपालिका के कार्य तथा भूमिका (Function and Role of Executive)

आधुनिक राज्य का स्वरूप जनकल्याणकारी होने के कारण कार्यपालिका के कार्य में बढोतरी हुई है। कार्यपालिका के कार्य अलग–अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग–अलग प्रकार के पाए जाते हैं । जनतांत्रिक देश में कार्यपालिका निम्नलिखित कार्य संपन्न करती है–

1. प्रशासनिक कार्य (Administrative Function)

- कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापिका द्वारा कानूनों को लागू करना है, तथा उन कानूनों की नागरिकों द्वारा अनुपालना को सुनिश्चित करना है।
- देश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना तथा नागरिकों के लिए स्वतंत्र व सुरक्षित वातावरण प्रदान करना कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है।
- कार्यपालिका द्वारा प्रशासनिक विभागों को गठित करके, सेवा संबंधी शर्तों का निर्माण व उनका क्रियान्वयन करना है।
- सभी देशों में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा की जाती हैं, जैसे विदेशों में राजदूत, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों आदि की नियुक्तियाँ।
- भारत में राज्य के राज्यपालों, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, सेना प्रमुखों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है।

2. विदेश संबंधित कार्य (Diplomatic related Function)

सम्पूर्ण विश्व में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना तथा अन्य देशों के साथ अपने व्यवहार के लिए नियम तथा सिद्धान्त निश्चित करना कार्यपालिका का काम है। कार्यापालिका द्वारा

अपने पड़ोसी देशों से संबंधों के बारे में नीति तय की जाती है। बाहरी आक्रमण से देश व देशवासियों की सुरक्षा का कर्त्तव्य कार्यपालिका द्वारा निभाया जाता है।

- सम्पूर्ण विश्व में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना तथा अन्य देशों के साथ अपने व्यवहार के लिए नियम से सिद्धान्त निश्चित करना कार्यपालिका का काम है।
- कार्यापालिका द्वारा अपने पड़ोसी देशों से संबंधों के बारे में नीति तय की जाती है।
- विश्व में घट रही घटनाओं के संबंध में देश की सोच व भावनाओं को कार्यपालिका द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है।
- बाहरी आक्रमण से देश व देशवासियों की सुरक्षा का कर्त्तव्य कार्यपालिका द्वारा निभाया जाता है।
- दूसरे देशों के साथ युद्ध तथा संधि के संबंध में निर्णय कार्यपालिका द्वारा लिया जाता है।

3 विधायी कार्य –

कानून बनाना व्यवस्थापिका का मुख्य दायित्व है, लेकिन इस क्षेत्र में भी कार्यपालिका द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है जैसे :

- व्यवस्थापिका के अधिवेशन कार्यपालिका की सलाह पर बुलाये जाते हैं।
- प्रमुख विधयेक कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किये जाते है।
- व्यवस्थापिका में अन्य सदस्यों द्वारा विधेयक भी तभी पारित हो पाते हैं जब उसे कार्यपालिका का समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि सदन में कार्यपालिका का दल बहुमत में होता है।
- अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी राष्ट्रपति द्वारा व्यवस्थापिका को संदेश भेजा जा सकता है, जिसका सामान्यतया आदर किया जाता है।
- कार्यपालिका द्वारा ऐसे समय अध्यादेश जारी किया जा सकता है जब व्यवस्थापिका सत्र में न हो। इन अध्यादेशों को बाद में व्यवस्थापिका की स्वीकृति आवश्यक होती है। ये अध्यादेश कानून के समान प्रभावी होते हैं।

- ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के विस्तार के साथ प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रचलन बढ़ा है। व्यवस्थापिका द्वारा मुख्य रूप से कानून बना दिया जाता है लेकिन उनकी विस्तृत व सूक्ष्म व्याख्या का उत्तरदायित्व कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है।

4 वित्तीय कार्य –

धन के संबंध में निर्णय व नियंत्रण व्यवस्थापिका का ही उत्तरदायित्व है, लेकिन इस क्षेत्र में भी कार्यपालिका द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका नभाई जाती है –

- बजट कार्यपालिका द्वारा बनाया जाता है, जिसे सामान्यतया थोड़े परिवर्तन व कटौती के साथ व्यवस्थापिका द्वारा पारित कर दिया जाता है।
- संसदीय व्यवस्थापिका में वित्त विधेयक राष्ट्रपति, जो कि कार्यपालिका की सलाह के अनुसार कार्य करता है, के पूर्व हस्ताक्षर के बाद सदन में प्रस्तुत किया जाता है।
- आकस्मिक निधि के संबंध में निर्णय कार्यपालिका द्वारा लिया जाता है।
- देश की आर्थिक व्यवस्था पर कार्यपालिका की सजग दृष्टि रहती है।
- योजनाओं व कार्यक्रम का निर्माण व संचालन कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है।

5. न्यायिक कार्य –

न्यायिक कार्य न्यायपालिका का उत्तरदायित्व है पर कार्यपालिका द्वारा भी विभिन्न प्रकार के न्यायिक कार्य किये जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति इस प्रकार का काम है। सभी देशों में न्यायापालिका द्वारा दिये गये दण्ड को कम करने का अधिकार कार्यपालिका को है। विशेष मामलों में दण्ड बिलकुल समाप्त किया जा सकता है। कार्यपालिका द्वारा अर्द्धन्यायिक कार्य भी किये जाते हैं। प्रशासनिक न्यायालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य इसी श्रेणी में आते है।

5 **जनआकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व –**

संविधानिक भूमिकाओं के साथ–साथ कार्यपालिका देश की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, उन आकांक्षाओं व उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी निभाना आवश्यक होता है नही तो चुनावों के समय जनता के प्रश्नों का उत्तर देना कठिन होता

है। जनता द्वारा सत्ता से हटा देने का भय कार्यपालिका को जनता की इच्छाओं का आदर करने के लिए प्रेरित भी करता है, बाध्य भी करता है।

6 देश **का नेतृत्व** –

कार्यपालिका द्वारा देश का नेतृत्व, आन्तरिक बाहरी, दोनो स्तर पर किया जाता है। संघीय व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय कार्यपालिका से कई अवसरों पर मार्गदर्शन व नेतृत्व की अपेक्षा होती है। ऐसे समाज जहां कई प्रकार के धर्म, जातियाँ, भाषाएँ आदि होती है, वहां सभी में समन्वय व सन्तुलन बैठाते हुए देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए नेतृत्व प्रदान कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है।

7 **जवाबदेहता सम्बन्धी** –

कार्यपालिका चूंकि सम्पूर्ण सरकार का प्रतिनिधित्व जनता के समक्ष व अन्तर्राष्ट्रीय जगत में करती है इसलिए किसी भी स्तर पर किये जाने कार्य के लिए उसकी जवाबदेही व उत्तरदायित्व होता है। संचार साधनों की गहरी व व्यापक पैठ के कारण सरकारी मशीनरी व उसकी गतिविधियों पर मीडिया की तीखी व पैनी नज़र रहती है। अमर्यादित या अवांछनीय कदम तुरन्त अखबारों व टीवी. चैनलों की सुर्खियाँ व ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं। ऐसे में प्रश्न उठाये जाते है, व स्पष्टीकरण माँगे जाते हैं। कार्यपालिका को सरकार के सभी अंगो की ओर से सचेत रहते हुए विभिन्न कार्यवाहियों के लिए जवाब देना पड़ता है, तथा उसका उत्तरदायित्व उठाना पड़ता है।

संदर्भ सूची –

(I) Prof. CB Gena, Comparative Politics and Institutions, Vikas Publishing House, Delhi

(II) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(III) Garner, Political Science and Government, Laxminarayan Aggarwal, Agra

(IV) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशर्स

4. शासन(सरकार)की संरचना : न्यायपालिका

Structure of Governance (Government): Judiciary

न्यायपालिका की प्रस्तावना तथा तात्पर्य

शासन का तीसरा अंग न्यायपालिका है जो शासन रूप व्यक्तित्व के सजग आंखे व कान है। व्यवस्थापिका द्वारा कानून संविधान की भावना के अनुरूप बनाये जायें और उसी भावना के अन्तर्गत कार्यपालिका द्वारा लागू किये जायें, यही सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कार्य है। इस अर्थ में न्यायपालिका द्वारा कानून की व्याख्या की जाती है, पालन न करने वाले को दण्ड दिया जाता है, समाज के विवादों का हल प्रदान किया जाता है तथा नागरिकों व राज्य के मध्य भी यदि कोई विवाद हो तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा करने का अधिकार कानून द्वारा न्यायाधीशों को प्रदान किया जाता है।

लार्ड ब्राइस के अनुसार ''न्यायपालिका राज्य के लिए आवश्यकता ही नही है, अपितु उसकी क्षमता से बढ़ कर सरकार की क्षमता की कोई कसौटी नही है।''

न्यायपालिका : संगठन

सर्वोच्च न्यायालय

⇩

उच्च न्यायालय

⇩

जिला एवं सत्र न्यायालय

⇩

मुन्सिफ न्यायालय

सामान्यतया सभी राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका के शीर्ष पर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके नीचे उच्च न्यायालय और कुछ छोटे और अन्ततः अनेक छोटे–छोटे न्यायालय होते है। भारत में शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय, कहीं दो राज्यों में एक उच्च न्यायालय तथा हर जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं।

हर जिले में मुन्सिफ न्यायालय होते हैं। इसके अतिरिक्त गाँवों की अपनी न्याय पंचायतें भी होती हैं, जो ग्रामीण व्यवस्था में परम्परागत रूप से चली आ रही है।

न्यायधीशों की नियुक्ति

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं ।

विश्व के विभिन्न देशों में न्यायाधीशों को निम्नलिखित पद्धति से नियुक्त किया जाता है–

1. व्यवस्थापिका द्वारा –

अमरीका के कुछ राज्यों तथा स्विट्जरलैण्ड के संघीय न्यायाधिकरण में न्यायाधीशों का चयन व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन के आधार पर किया जाता है। इस व्यवस्था में दलीय प्रभाव के कारण न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

2. कार्यपालिका द्वारा –

सामान्यतया देशों में कार्यपालिका प्रमुख द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इस पद्धति में निर्धारित योग्यता की परीक्षा मे उत्तीर्ण होने पर न्यायाकर्मियों की नियुक्ति की जाती है जो धीरे–धीरे योग्यता व सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति पाते हैं। इस व्यवस्था में चूंकि योग्यता ही नियुक्ति का आधार होती है अतः निष्पक्षता व तटस्थता की सम्भावना अधिक रहती है।

3. जनता द्वारा –

अमरीका के कुछ राज्यों तथा स्विट्जरलैण्ड के कुछ कैण्टनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति जनता निर्वाचन द्वारा करती है। ऐसी व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप की सम्भावना सबसे ज्यादा रहती है तथा निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में योग्यता व अनुभव को महत्व देना आवश्यक है। न्यायाधीशों को पद के दुरूपयोग के आधार पर महाभियोग लगा कर पद से हटाया जा सकता है जिसमें व्यवस्थापिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में न्यायाधीशों को समय पूर्व पद विमुक्त करने के लिए इसी पद्धति के प्रयोग की व्यवस्था संविधान द्वारा की गई ।

न्यायाधीशों का कार्यकाल

न्यायाधीशों का कार्यकाल छोटा होगा तो उनकी विशेषज्ञता का लाभ थोड़े समय तक ही मिल पायेगा लेकिन यदि कार्यकाल लम्बा हो तो उनमें अधिकारों के दुरूपयोंग की सम्भावना बढ़ जाती है। सामान्यतया एक निश्चित कार्यकाल अच्छा माना जाता है जो न अधिक छोटा हो तथा न बहुत अधिक लम्बा हो।

न्यायाधीशों की भूमिका व कार्यकाल

न्यायापालिका द्वारा किये जाने वाले उपरोक्त कार्यों का विस्तृत विवेचन इस प्रकार हैः

1 विवादों को हल करना–

न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच हुए झगड़ों का निपटारा करना है। ये झगड़े दीवानी तथा फौजदारी हो सकते हैं। ऐसा करते समय न्यायालय कानून की अच्छाई या बुराई पर विचार नहीं करती बल्कि राज्य द्वारा बनाये कानून के आधार

पर निर्णय देती है तथा दण्ड निश्चित करती है। न्यायालय द्वारा दिये निर्णयों की अनुपालना आवश्यक है अन्यथा न्यायालय की मानहानि का मामला बन जाता है।

2 विधि की व्याख्या करना –

मुकदमों की सुनवाई करते समय न्यायालयों द्वारा कानून की व्याख्या भी की जाती है, इसका उद्देश्य वर्तमान कानून में निहित अर्थ व भावना को स्पष्ट करना है।

3 संविधान की संरक्षक है–

न्यायपालिका संविधान के संरक्षक की भूमिका भी निभाती है। यदि व्यवस्थापिका ऐसे कानून बनाये जो संविधान के अनुकूल न हों या कार्यपालिका ऐसे आदेश दे जो संविधान की भावना के प्रतिकूल हो तो न्यायपालिका को विचार करने व निर्णय देने का अधिकार है। संघीय शासन व्यवस्था में विभिनन राज्यों या केन्द्र तथा राज्यों के मध्य यदि विवादास्पद स्थिति पैदा होती है तो न्यायालय द्वारा संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की जाती है।

4 जन अधिकारों की सुरक्षा सम्बन्धी–

न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व संविधान द्वारा दिये गये नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाये या शासन द्वारा किया जाये तो न्यायापालिका द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है।

भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा अनेक प्रकार के जारी किये जाते है, जैसे : बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश – लेख आदि।

5 परामर्श सम्बन्धी कार्य –

न्यायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका या कार्यपालिका को महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर सलाह देने की भूमिका भी निभाई जाती है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह

लेने का प्रावधान संविधान द्वारा किया गया है। अन्य देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। इंग्लैण्ड में प्रिवी कौंसिल की ज्युडीशियल कमिटी सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देने का काम करती है।

6 न्यायिक विधि सम्बन्धि कार्य –

न्यायालय द्वारा कानून को ध्यान में रखते हुए विवादों को सुलझाया जाता है, पर कभी – कभी वर्तमान कानून अपर्याप्त होता है तब न्यायालय द्वारा औचित्य के आधार पर निर्णय दिया जाता है, जो आगे आने वाले उसी प्रकार के मामलों में ''उदाहरण'' बन जाता है। इस अर्थ में न्यायापालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाये कानून के पूरक की भूमिका निभाती है तथा कानून के निर्माण व विकास में सहायक होती है।

8 विविध कार्य –

न्यायालय द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य इस प्रकार हैं –

- अधिवक्ताओं, ओथ कमिश्नर आदि को अनुज्ञा पत्र जारी करना।
- न्यायालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा निचली अदालतों का निरीक्षण।
- विदेशियां को नागरिकता प्रदान करना।
- वसीयतनामों को प्रमाणित करके आज्ञापत्र जारी करना।
- संरक्षकों व न्यासियों की नियुक्ति।
- विवाह पंजीयन सम्बन्धी आदि।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु प्रावधान

न्यायपालिका को स्वतंत्रत रूप से कार्य करने, विवेकपूर्ण निर्णय देने व शासन के दबाव से मुक्त रहने के लिए पर्याप्त वातावरण चाहिए तभी नागरिकों को न्याय मिल पायेगा, अन्यथा लोकतंत्र व जन सामान्य को विकास का लाभ पहुंचाने की भावना का सम्मान नहीं हो सकेगा। इसके लिए आवश्यक है –

- ♦ कानून का ज्ञाता व अनुभवी व्यक्ति ही न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो।
- ♦ न्यायाधीशों का निश्चित व लम्बा कार्यकाल हो।
- ♦ न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन व अन्य सुविधाएँ प्राप्त हो ताकि प्रलोभनों से बचा जा सके।

♦ न्यायाधीशों को पदविमुक्त करने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को ही अपनाया जाये ताकि राजनीतिक दबाव का कम से कम प्रभाव हो।

♦ न्यायपालिका को अपने कार्य करने के लिए कार्य प्रक्रिया स्वयं निर्धारित की जानी चाहिए।

सिद्धान्त रूप में कई प्रकार की व्यवस्थाएँ की जा सकती हैं लेकिन उनको व्यावहारिक रूप देने के लिए आवश्यक है कि शासन की तीनों अंगों द्वारा एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करने की परम्परा व संस्कृति का लगातार विकास किया जाए।

न्यायिक पुनरावलोकन(पुनर्निरीक्षण)

न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ –

न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना।

डिमॉक के अनुसार–न्यायिक पुनर्निरीक्षण, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों से सम्बन्धित अपने सामने आये मुकदमों में, न्यायालय द्वारा उस जांच को कहते हैं, जिसके अन्तर्गत वे निर्धारित अपने सामने आये मुकदमों में, न्यायालय द्वारा उस जाँच को कहते हैं, जिसके अन्तर्गत वे निर्धारित करते हैं कि कानून का कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित है या नहीं।

अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मार्शल ने सन् 1803 में ''मार्बरी बनाम मेडीसन'' के मामले में निर्णय देते हुए न्यायिक पुनर्निरीक्षण की परिभाषा इस प्रकार थे थी, ''न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वह निर्णय करता है कि क्या ये एक लिखित संविधान द्वारा निषिद्ध किये गये है। उन्होंने अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है या नहीं।''

न्यायिक सक्रियता

न्यायिक सक्रियता भारतीय न्यायव्यवस्था का एक नवीन पहलू है जिसके अन्तर्गत न्यायाधीशों ने ऐतिहासिक व साहसिक निर्णय दिये हैं जिसमें जनसामान्य का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आवश्यक नहीं कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही

अभियोग प्रस्तुत करे, अपितु जनहित में अन्य व्यक्ति, समुदाय या स्वैच्छिक संस्था आदि द्वारा न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत दिया जा सकता है। एक पोस्टकार्ड द्वारा की गई प्रार्थना को भी याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ।

जस्टिस पी. भगवती का मानना है कि जब कार्यपालिका अपने स्वीकार और कानूनी उत्तरदायित्व को पूरा न करे व विधायिका भी निष्क्रिय भूमिका अपनाये तो न्यायापालिका को सक्रिय होना आवश्यक है। इस नई प्रवृत्ति के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण निर्णय दिये गये। ताजमहल को प्रदूषण से सुरक्षा देने का आदेश न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उपरोक्त प्रवृत्ति में अति सक्रियता का भय रहता है। जो अन्तनः कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप की ओर बढ़ सकता है।

सार

न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग होता है, जिसका कार्य कानूनों की व्याख्या करना होता है। न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि वह संविधान की परिधि से बाहर बनाये गये कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। लोकतंत्र की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे।

सन्दर्भ सूची

(I) Prof. CB Gena, Comparative Politics and Institutions, Vikas Publishing House, Delhi

(II) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(III) Garner, Political Science and Government, Laxminarayan Aggarwal, Agra

(IV) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशर्स

5. राजनीतिक दल (Political Party)

प्रस्तावना तथा तात्पर्य

प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था के दो मुख्य स्त्रोत होते हैं– संविधान और संविधानेतर । दोनों भिन्न हैं और एक दूसरे के पूरक भी। यदि संविधान शासन को ढांचा प्रदान करता है तो संविधानेतर अंग उसे गति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह शासन के इसी संविधानेतर पहलू के उदाहरण हैं जो प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल ही जनता का मत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं।

राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठन होता है जो सैद्धान्तिक रूप से एकमत होते हैं तथा सामूहिक नेतृत्व से चुनावों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल मुख्यतः परम्पराओं, विचारधारा, मनोवैज्ञानिक कारण आदि के बंधनों से संगठित रहते हैं। निर्वाचित सरकारों के आधुनिक युग में राजनीतिक दल समाज और विभिन्न सरकारी संस्थानों को जोड़ने वाली कड़ी का काम करते हैं। वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक शासन की धुरी के रूप मे कार्य करते हैं।

लोकतांत्रिक सरकारों की कल्पना राजनीतिक दलों के बिना नहीं की जा सकती। राजनीतिक दल लोकतंत्र के साधन एवं आधार शिलायें हैं। राजनीतिक दल नागरिकों का ऐसा संगठित समूह है जो सार्वजनिक प्रश्नों के विषय में समान विचार रखता है और राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए अपनी कल्पित नीति को विस्तार देने के लिए शासन–नियन्त्रण को हस्तगत करना चाहता है। इस प्रकार राजनीतिक दल व्यक्तियों के किसी भी समूह को जो समान राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। विचारकों ने राजनीतिक दल को भ्न्नि–भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। जिनमें से कुछ
विचारकों के विचार निम्न प्रकार हैं–

गिलक्राइस्ट के अनुसार –''एक राजनीतिक दल उन नागरिकों का एक संगठित समूह है जिसके राजनीतिक विचार एक से होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करके सरकार पर नियन्त्रण करने की चेष्टा करते हैं।''

एडमण्ड बर्क के अनुसार– ''राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह हाता है जो किसी सिद्धान्त के आधार पर जिस पर वे एकमत हों अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधें हों।''

राजनीतिक दल के निम्न लक्षण

राजनीतिक दल के निम्न लक्षण परिलक्षित हैं–

1. आधारभूत सिद्धान्तों पर सदस्यों में मतभेद पाया जाता है।
2. उद्देश्य प्राप्ति के लिए शान्तिपूर्ण तथा सांविधानिक साधनों पर बल दिया जाता है।
3. राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्वाचन आदि में भाग लिया जाता है।
4. राष्ट्रीय हितों के विकास हेतु प्रयास किया जाता है।
5. राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर अपने सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाता है।

राजनीतिक दलों का महत्व /उपयोगिता

1 राजनीतिक दल जनतांत्रिक सरकार की कार्यकारिता के लिए अपरिहार्य है–

राजनीतिक दल जनतांत्रिक सरकार की कार्यकारिता के लिए अपरिहार्य है। एडमण्ड बर्क के अनुसार, ''दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो अथवा बुरे के लिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है।'' राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित को व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण नीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसके पक्ष में लोकमत का निर्माण करते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली को मूर्तरूप देते हैं और शासन के संचालन के साथ ही उसकी निरंकुशता को नियंत्रित करते हैं और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं, अधिकारों एवं मूल्यों की रक्षा करते हैं।

2 किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता –

मेकाइवर का कथन है कि ''दलीय संगठन के बिना किसी सिद्धान्त का व्यवस्थित एवं एकीभूत प्रकाशन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता। संसदीय चुनावों की वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं हो सकती और न ऐसी मान्य संस्थाओं की व्यवस्था ही हो सकती है जिनके द्वारा कोई भी दल शांति प्राप्त करता है तथा उसे स्थिर रखता है।''

3 राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार का कुशल **संचालन नहीं हो सकता**–

शासन व्यवस्था चाहे संसदात्मक हो अथवा अध्यक्षात्मक, राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार का कुशल संचालन नहीं हो सकता। विरोधी दलों के रूप में भी दलों का बहुत महत्व है क्योंकि विरोधी दल ही सरकार की नीतियों तथा उसके कार्यों पर नियंत्रण रखता है और उसे निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधि सरकार सफलता के साथ चल सकती है।

4 एक स्वस्थ एवं जागरूक राजनीतिक वातावरण केवल राजनीतिक दल ही कायम कर सकते हैं–

एक स्वस्थ एवं जागरूक राजनीतिक वातावरण केवल राजनीतिक दल ही कायम कर सकते हैं। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में सहायक होते हैं। लावेल का कहना है कि ''राजनीतिक दल किसी प्रश्न पर जनमत तैयार करने के लिए वे कुछ सिद्धान्त या प्रश्न उपस्थित करते हैं।''

5 लोकमत का निर्माण मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता हैं–

लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और लोकमत का निर्माण मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। दलों के अपने निश्चित सिद्धान्त होते हैं। इन सिद्धान्तों के आधार पर ही मतदाता उनके उम्मीदवारों को चुनावों में परास्त या विजयी बनाते हैं। राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करके न केवल सरकार का निर्माण करते हैं अपितु राजनीतिक दल विरोधी पक्ष की भुमिका का निर्वाह करके सरकार के अनुचित एवं स्वेच्छाचारी कार्यों पर अंकुश भी लगाते हैं।

6 राजनीतिक दल अनिवार्य है और कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश **उनके बिना नहीं रह सकता**–

हैलॉड ब्राइस का कथन है कि, ''राजनीतिक दल अनिवार्य है और कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता है। किसी व्यक्ति ने यह नहीं बताया है कि प्रजातंत्र उनके बिना कैसे चल सकता है। ये मतदाताओं के समूह की अराजकता में से व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। यदि दल कुछ बुराइयां उत्पन्न करते हैं तो वे दूसरी बुराइयों को दूर भी करते हैं।'' इस प्रकार राजनीतिक दल आधुनिक राज–व्यवस्था एवं शासन प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है।

राजनीतिक दलों की भूमिका / कार्य

राजनीतिक दल लोकतंत्र के पहिये है । लोकतंत्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत जनता की भावनाओं के निर्धारण तथा अभिव्यक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका तथा कार्य इस प्रकार है–

1. लोकमत का निर्माण करते है –

समाज के विभिन्न एवं परस्पर विरोधी विचारों को दलों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। वे बिखरे एवं अस्पष्ट एवं व्यवस्थित करते हैं तथा जनमत निर्माझा में योग देते हैं। सामाजिक जीवन की विभिन्न उलझी हुई समस्याओं में से प्रमुख समस्याओं को वे जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

2. राजनीतिक शिक्षा **प्रदान करते है –**

दल जनता को राजनीतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। लॉवेल के अनुसार दल 'विचारों के दलाल' हैं। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में प्रत्येक दल द्वारा पक्ष एवं विपक्ष में विचार प्रस्तुत किये जाते हैं, अपने–अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं, निर्वाचनों में जन सभायें आयोजित की जाती हैं। इससे लोगों में राजनीतिक शिक्षा एवं चेतना का प्रसार होता है। जनता सदैव सजग एवं जागरूक रहती है।

3. चुनावों में सहायता प्रदान करते है –

दलों के कारण मतदाताओं को मतदान में काफी सुविधा रहती है। निर्वाचनों में दलों द्वारा अपने प्रत्याशी खड़े किये जाते हैं। उनके पक्ष में प्रचार करते हैं, आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। शासन सत्ता पर अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। वस्तुतः लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों के बिना चुनाव लड़ना एवं विजय प्राप्त करना कठिन कार्य है।

4. शासन **के संचालन में सहयोग प्रदान करते है –**

राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में सरकार का निर्माण तथा शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के आधार पर ही किया जाता है।

5. सरकार पर नियंत्रण रखते है –

विपक्षी दलों का उद्देश्य सरकारी नीतियों की स्वस्थ्य आलोचना करके जनमत को अपने पक्ष में करना होता है। विपक्ष के कार्यकलापों से जनता को यह ज्ञात होता है कि शासन–नीति की रूपरेखा क्या है ? जब जनता शासन की वैकल्पिक नीति का समर्थन देने लगती है तब विरोधी दल शासन की बागडोर संभालने में सक्षम हो जाता है।

6. जनता तथा सरकार के मध्य सेतु का कार्य करते है –

सत्तारूढ़ दल और विरोधी दलों का सम्पर्क जनता से निरंतर बना रहता है। विरोधी दल जनता की कठिनाइयों और मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। एक राजनीतिक दल का मुख्य कार्य है कि वह विचारों का आदान–प्रदान एवं सम्पर्क का रास्ता खुला रखे। इस प्रकार सरकार सार्वजनिक कल्याण के लिए एवं लोकमत के अनुसार चलती है।

7. शासन **के विभिन्न अंगों में समन्वय बनाये रखते है –**

राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में दलीय अनुशासन एवं कार्यक्रम के फलस्वरूप अभिन्न संबंध बना रहता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन के विभिन्न अंगों में पृथक्करण के कारण राजनीतिक दल ही शासन संचालन के कार्य को सुगम बनाते हैं। दल व्यवस्था के कारण ही सांविधानिक कठोरता वांछित लचीलेपन में बदल जाती है।

राजनीतिक दल के गुण / लाभ

राजनीतिक दल के गुण निम्नलिखित हैं –

1. जनतंत्र का संचालन संभव होता है –

राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्रीय सरकार का संचालन संभव नहीं है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिये रीढ़ की हड्डी के समान हैं। राजनीतिक दल प्रजातंत्रीय सराकर को व्यावहारिक बनाते हैं। इनसे देश में बिखरी हुई जनता को सामान्य सिद्धान्त पर सहमति के निकट लाया जाता है और उसकी क्रियान्विति का प्रयत्न किया जाता है।

2. मानव प्रकृति के अनुरूप है –

मानवीय विचारों में भिन्नता होने के कारण ही राजनीतिक दल भी भिन्न–भिन्न सिद्धान्तों पर आधारित एवं संगठित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुरूप राजनीतिक दल का समर्थन करता है और उस दल से जुड़ जाता है।

3. शासन **के विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय बना रहता है –**

संसदीय अथवा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सामंजस्य राजनीतिक दल के द्वारा ही संभव हो पाता है। संसदीय शासन व्यवस्था मं विधानमण्डल में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल से कार्यपालिका के मध्य संबध दलीय माध्यम से ही संभव है।

4. सरकार की निरंकुशता **पर प्रतिबन्ध लगता है –**

राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण ही व्यवस्थापिका में एक सजग विरोधी दल होता है जो सरकार के प्रत्येक कार्य पर आलोचनात्मक दृष्टि रखता है। अतः शासन निरंकुश नहीं बन पाता।

5. राजनीतिक चेतना का प्रसार होता है –

राजनीतिक दल चुनाव एवं प्रचार के माध्यम से जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करते हैं। फाइनर के शब्दों में ''राजनीतिक दल प्रत्येक नागरिक को वह ज्ञान प्रदान करते हैं जो समय एवं दूरी के कारण प्राप्त करना असंभव है।'' अतः राजनीतिक दल जनता का राजनीतिक प्रशिक्षक भी होते हैं।

उपर्युक्त गुणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। दल बहुमत के अत्याचार के विरूद्ध संघर्ष करते हैं। शासन को स्थायित्व एवं सुदृढ़ता प्रदान करते हैं।

राजनीतिक दल के दोश / हानि

दल प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं :–

1. राश्ट्रीय हितों की उपेक्षा की जाती है:

क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक हितों के समक्ष राष्ट्रीय हित गौण हो जाते हैं। दलगत स्वार्थ एवं हित प्रमुख हो जाते हैं। वस्तुतः राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए संगठित समुदाय है किन्तु अनेकों बार दलीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है।

2. द्वेश एवं कटुता की भावना फैलाते है –

दलीय प्रणाली जनता को विभिन्न भागों में विभाजित करके जन साधारण में द्वैष एवं कटुता की भावना उत्पन्न करती है। कई बार विरोधी दल के सदस्य केवल विरोध के लिए ही सरकार का विरोध करते हैं। ब्राइस ने कहा है कि ''दल केवल व्यवस्थ्झापिका सभा को ही

नहीं बल्कि राष्ट्र को भी दो विरोधी पक्षों में बांट देता है। देश भक्ति के स्थान पर क्रोध एवं कड़वाहट उत्पन्न होती है।''

3. मुद्रा एवं समय का अपव्यय होता है–

विरोधी दलों द्वारा प्रायः अनावश्यक रूप से सरकार के उचित अनुचित कार्यों की आलोचना की जाती है इससे समय एवं धन का अपव्यय होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने संगठन को शक्तिशाली बनाने एवं जनता को अपने पक्ष में करने के लिए धन का अनावश्यक व्यय करता है।

4. भ्रश्टाचार को बढ़ावा मिलता है –

दलीय व्यवस्था राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार को जन्म देती है। धनी व्यक्ति चुनावों के समय राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देते हैं। दल के विजयी होने पर धनी व्यक्ति अनुचित लाभ उठाते हैं एवं अपने हित में कानून निर्माण करवाते हैं।

5. राजनीति एक व्यापार बनता जा रहा है–

दलीय व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीति को स्वार्थी राजनीतिज्ञों द्वारा एक पेशा बना लिया जाता है। रिश्वतखोरी एवं भाई–भतीजावाद पनपता है। झूठ, दोषारोपण आदि का आश्रय लेकर राजनीतिक दल देश के वातावरण को दूषित कर देते हैं। परिणामस्वरूप जनता का नैतिक पतन भी होता है। इस प्रकार राजनीतिक दल सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अवसरवादिता आदि बुराइयों को प्रोत्साहन देते हैं।

6. ईमानदार तथा कु�ाल व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जाता है –

वस्तुतः देश का शासन योग्य एवं कुशल व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना चाहिये, किन्तु निर्वाचन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है, उसी दल के सदस्यों को शासन संचालन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। दल से बाहर जो व्यक्ति योग्य, कुशल एवं श्रेष्ठ हैं उनकी सेवाओं से देश वंचित रह जाता है परिणामस्वरूप प्रशासनिक स्तर में गिरावट आ जाती है। दलीय व्यवस्थाओं के दोषों के कारण ही 'दलविहीन प्रजातंत्र' के विचार का प्रतिपादन किया गया।

सार

भारत में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रजातंत्र के इसी रूप का प्रतिपादन किया गया। इनका मत है कि लोकतंत्र के वास्तविक आदर्श की सिद्धि दलविहीन प्रजातंत्र से ही

संभव है, वस्तुतः दलविहीन लोकतंत्र का विचार आकर्षक प्रतीत होता है किन्तु यह क्रियात्मक एवं व्यावहारिक नहीं हैं।

यह सर्वमान्य सत्य है कि राजनीतिक दल के बिना किसी भी प्रजातांत्रिक देश के शासन का संचालन संभव नहीं है। यदि राजनीतिक दलों का निर्माण राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धान्तों के आधार पर हो, अन्य दलों के प्रति सहनशीलता हो, देश के नागरिक शिक्षित एवं जागरूक हों, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दें, अपने संकीर्ण स्वार्थों को त्याग दें तो राजनीतिक दल उस देश के लिए शक्ति एवं एकता का माध्यम बन सकते हैं।

सन्दर्भ सूची

(I) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशर्स

(II) Prof. CB Gena, Comparative Politics and Institutions, Vikas Publishing House, Delhi

(III) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(IV) Garner, Political Science and Government, Laxminarayan Aggarwal, Agra

6 हित समूह /दबाव समूह (Intereste Groups /Pressure Groups)

प्रस्तावना तथा तात्पर्य

समाज के विभिन्न वर्ग अपने हितों की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए अपना समूह बना लेते हैं। जब ये समूह अपने हित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं तो उसे दबाव समूह कहा जाता है।

दबाव समूह गैर–राजनीतिक, गैर–सरकारी, ऐच्छिक एवं औपचारिक रूप से संगठित होते हैं। ये सामान्य जनता के लिए अज्ञात संगठन भी होते हैं, किन्तु राजनीतिक व्यवस्था के संचालन पर उनका अत्यधिक प्रभाव होता है। वर्तमान राजनीतिक युग की एक महत्वपूर्ण देन दबाव समूहों का विकास है जो लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में पाये जाते हैं। दबाव समूह विशिष्ट हितों से संबंधित व्यक्तियों के ऐसे समूह होते हैं जो विधायकों को प्रभावित करके अपने उद्देश्यों एवं हितों के पक्ष में समर्थन प्राप्त करते हैं। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते। ये **हित समूह** होते है।

माइनर वीनर के अनुसार–

''दबाव समूह स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसा समूह होता है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर हो और जो सरकारी अधिकारियों की नामजदगी तथा नियुक्ति, विधि निर्माण एवं सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं।''

एच. जेगलर के अनुसार–

''दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठायें बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की कामना रखता है।''

इस प्रकार दबाव समूह राजनीतिक दलों की भांति किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते बल्कि किन्हीं विशेष समस्याओं या हितों से संबंधित होते हैं, ये पूर्णतः राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। वे तो अपने समूह विशेष के लिए सरकारी नीतियों और राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल न होते हुए भी वे दलों की भांति शक्ति संगठन होते हैं जिनकी निजी सदस्यता, उद्देश्य, संगठन, एकता, प्रतिष्ठा और साधन होते हैं।

दबाव समूह की विशेशतायें / लक्षण

दबाव समूह की विशेशतायें / लक्षण निम्नलिखित हैं :–

1. उद्देश्य का क्षेत्र सीमित है –

दबाव समूहों का लक्ष्य सीमित होता है। इनका उद्देश्य कभी भी सार्वजनिक हितों का कल्याण नहीं होता अपितु अपने सदस्यों के कल्याण तक ही सीमित होता है।

2. संगठन की आवश्यकता पड़ती है–

दबाव समूह संगठित अथवा असंगठित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ राजनीतिक दल के लिए संगठित होना आवश्यक है वहां दबाव समूह के लिए आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए जाति एक असंगठित दबाव समूह है जबकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक संगठित दबाव समूह है।

3. सदस्यता का क्षेत्र सीमित होता है –

दबाव समूह की सदस्यता केवल अपने वर्ग तक ही सीमित रहती है उदाहरण के लिए मजदूर संघ की सदस्यता केवल मजदूर ही प्राप्त कर सकते है। समाज का कोई अन्य वर्ग नहीं।

4. उचित–अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है –

दबाव समूह अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए उचित–अनुचित, संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। दबाव समूहों का एकमात्र उद्देश्य अपने समूह के निजी हितों की पूर्ति करना है।

6. राजनीति एवं प्रशासन में परोक्ष भूमिका बनी रहती है –

सभी दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होते हैं किन्तु देश्झ के राजनीतिक ढ़ांचे को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित अवश्य करते हैं। दबाव समूह चुनाव लड़कर राजनीतिक सत्ता नहीं हथियाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य तो मंत्रियों, शासनाधिकारियों और विधायकों पर विभिन्न तरीकों से दबाव डालकर अपना कार्य निकलवाना है।

6. कार्यकाल की निश्चितता में अभाव पाया जाता है :

दबाव समूह का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए गठित दबाव समूह उस हित की पूर्ति होते ही समाप्त हो जाता है।

दबाव समूह की उपयोगिता / महत्व : –

वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दबाव समूह का महत्व बढ़ता जा रहा है। दबाव समूहों की उपयोगिता एवं महत्व के प्रमुख कारण निम्न हैं –

1. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति करते है–

लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत तैयार करना आवश्यक होता है। लोकमत को शिक्षित करके, आंकड़े एकत्रित करके, विधि निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनायें पहुंचाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बन गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति दबाव समूह द्वारा की जाती है।

2. कानून निर्माण में सहायक है –

दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। महत्वपूर्ण विधेयक का निर्माण करने से पूर्व सरकार संबंधित दबाव समूहों से परामर्श करती है।

इनका परामर्श एवं सहायता दोनों ही इतने उपयोगी होते हैं कि इन्हें विधानमंडल के पीछे विधानमंडल कहा जाने लगा है।

3. सरकार की तानाशाहीता पर अंकुश लगाते है –

वर्तमान में शासन में बढ़ती हुई केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति के कारण दबाव समूहों का अस्तित्व, उनकी सक्रियता एवं प्रभाव के कारण सरकार निरंकुश आचरण नहीं कर पाती क्योंकि दबाव समूह अपने–अपने हितों की पूर्ति हेतु सरकार पर दबाव डालते रहते हैं।

4. व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने में सहायक है –

चुनावों में कई बार विशेष प्रकार के व्यवसायों या आर्थिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पात। ये व्यक्ति अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए दबाव समूह के रूप में संगठित हो सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यवसायों या आर्थिक हितों की उपेक्षा नहीं हो पाती।

5. नागरिक और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते है –

दबाव समूह व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। निर्वाचित नेता दबाव समूहों के माध्यम से निर्वाचकों की इच्छा–आकांक्षाओं का पता लगा लेते हैं। इस प्रकार ये नागरिक और सरकार के मध्य संचार साधन का कार्य करता है।

राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में विशमताऐं/असमानताऐं / अन्तर

राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में निम्न अन्तर किया जा सकता है–

1. संगठन सम्बन्धित –

राजनीतिक दल अनिवार्यरूप से औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, किन्तु दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित या असंगठित दोनों में से किसी भी प्रकार के हो सकते हैं।

2. आकार तथा सदस्यता सम्बन्धित –

राजनीतिक दल आकार एवं संगठन की दृष्टि से बड़े होते हैं, लाखों तथा करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। दबाव समूह वर्ग विशेष के हितों से संबंधित होने के कारण आकार तथा सदस्यता की दृष्टि से छोटे संगठन होते हैं।

इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है लेकिन वह एक समय में एक से अधिक राजनीकि दलों का सदस्य नहीं बन सकता।

3. उद्देश्य सम्बन्धित –

राजनीतिक दल का उद्देश्य निर्वाचन में भाग लेकर बहुमत प्राप्त करना तथा शासन सत्ता पर अपना अधिकार कायम करना होता है इसके विपरीत दबाव समूह का लक्ष्य शासन के ढांचे से बाहर रहकर कानून निमार्ण तथा शासन की नीतियों एवं कार्यों को प्रभावित करना होता है। दबाव समूह लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित–अनुचित सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं।

4. कार्य क्षेत्र की सम्बन्धित –

राजनीतिक दल का संबंध राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं से होने के कारण उनका कार्यक्षेत्र व्यापक होता है किन्तु दबाव समूह का कार्य क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि उसका संबंध वर्ग विशेष के हितों से संबंधित समस्याओं के समाधान से होता है।

5. स्वरूप सम्बन्धित –

राजनीतिक दल प्रायः सदैव सक्रिय रहते हैं किन्तु दबाव समूह अपने विशिष्ट हितों से सम्बद्ध अवसरों पर ही सक्रिय होते हैं।

6. साधनों सम्बन्धित –

राजनीतिक दल शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं किन्तु दबाव समूह अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए संवैधानिक तथा असंवैधानिक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं।

राजनीतिक दल एवं दबाव समूह एक दूसरे के सहायक / राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में अंतर्क्रिया

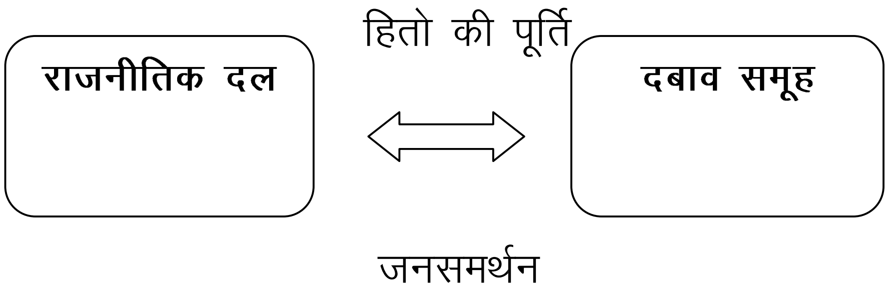

राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में भिन्नता के बाद भी वे परस्पर प्रतिद्वन्द्वी नहीं बल्कि एक दूसरे के सहायक एवं पूरक होते हैं। जहाँ दबाव समूह विशेष हितों की रक्षा कर समाज की सेवा करते हैं वहाँ राजनीतिक दल सार्वजनिक हितों पर विशेष बल देकर विशेष हितों को सार्वजनिक हितों के साथ समन्वित करने का प्रयास करता है।

दबाव समूह राजनीतिक मांगों को स्पष्ट और संयुक्त करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों को विशेष हितों की उपेक्षा करने से रोकते हैं और उन्हें समायोजन की नीति अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। वस्तुतः दलीय व्यवस्था की स्थिति मध्यस्थता की होती है जो दबाव समूह और अधिकाधिक नीति निर्माण अभिकरणों में मध्यम मार्ग अपनाती है।

जहां दल व्यवस्था दबाव समूहों के विघटनकारी और संकीर्ण हितों से सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हैं वहां वह भिन्न–भिन्न हितों को संयुक्त करके उन्हें सार्वजनिक रूप देने का प्रयास करती है। इस दृष्टि से दबाव समूह द्विभागीय सन्तुलन का कार्य करते हैं। एक ओर वे जन इच्छा को विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाकर उनके निर्णयों को जन इच्छा के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं और दूसरी ओर वे प्रशासन की नीतियों और दृष्टिकोणों को जनता तक पहुंचाकर उसे शान्त करने का प्रयास करते हैं।

दबाव समूह की कार्य व्यवस्था तथा भूमिका

1. विधायिका तथा दबाव समूह के सम्बन्ध में –

दबाव समूह इस बात के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं कि व्यवस्थापिका के द्वारा कानूनों का निर्माण करते समय उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाय। इसके लिए वे अनेक

विधायकों को उनके चुनाव में भारी आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपना आश्रित बना लेते हैं। अतः विधायक इन दबाव समूहों के हितों के विपरीत कानून नहीं बनने देते। अमरीका में कांग्रेस के सदस्य दबाव समूहों से भारी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के कारण उनके प्रभाव में बने रहते हैं।

2. कार्यपालिका तथा दबाव समूह के सम्बन्ध में –

संसदीय शासन प्रणाली में विधेयकों का निर्माण, बजट का निर्माण, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति आदि का कार्य कार्यपालिका द्वारा ही किये जाते हैं। दबाव समूह कार्यपालिका पर इस बात के लिए प्रभाव ड़ालते हैं कि उनके हितों को संरक्षण प्रदान करें। दबाव समूह प्रचार आदि के द्वारा कार्यपालिका की नीतियों को प्रभावित करते हैं। कार्यपालिका भी कई बार नीति–निर्धारण से पूर्व उद्योगपतियों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों आदि के संघों पर विचार–विमर्श कर लेती है।

3. निर्वाचन तथा दबाव समूह सम्बन्ध में –

दबाव समूह आम चुनाव में उन व्यक्तियों के लिए चुनाव प्रचार का कार्य भी करते हैं जो उनके पक्ष मे समर्थक होते हैं। वे उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं जनमत को प्रभावित करने में भी दबाव समूह का योगदान बढ़ता जा रहा है।

4. कर्मचारी वर्ग तथा दबाव समूह के सम्बन्ध में –

कर्मचारी वर्ग का मुख्य कार्य शासन संचालन करता है। दबाव समूह विभिन्न तरीकों से नौकरशाही अथवा कर्मचारी वर्ग को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। इन तरीकों में शांति प्रिय प्रदर्शन, हड़ताल, घेराव आदि बातें भी शामिल है।

भारत में दबाव समूह

भारत में दबाव समूहों का विकसित देशों की भांति विकास नहीं हो पाया किन्तु फिर भी भारत में निम्न प्रकार के दबाव समूह पाये जाते हैं :–

1. जाति तथा धर्म समूह–

वर्तमान में जाति एवं धर्म के राजनीति से विभिन्न जाति एवं धार्मिक संगठन अस्तित्व में आये हैं, जो कि दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं जैसे– मुस्लिम मजलिस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद, जैन समाज, वैष्णव समाज।

2. व्यावसायिक समूह –

उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के अनेक संगठन हैं जैसे फैडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) इत्यादि।

3. मजदूर संगठन –

मजदूरों के संगठन जैसे– भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, हिन्द मजदूर सभा आदि।

4. किसान संगठन –

पिछले दशक में भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान संघ तथा भारतीय किसान यूनियन आदि दबाव समूह के रूप में प्रभावी रहे।

5. विद्यार्थी संगठन –

छात्रों के संगठन भी भारत में प्रभावी रहे हैं। प्रमुख संगठन हैं जैसे– नेशनल स्टूडेन्ट्स यूनियन ऑफ इण्डिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्टूडेन्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया आदि।

6. बुद्धिजीवी संगठन –

डॉक्टर, वकील, अध्यापक आदि संगठित रूप में सरकार पर दबाव डालने का कार्य करते हैं जैसे–ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एण्ड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, अखिल भारतीय मेडिकल काउंसिल, जनवादी लेखक संघ, पत्रकार संगठन, अखिल भारतीय बार एसोसिएशन आदि।

सार

आधुनिक विश्व की सभी राज–व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल प्रणाली अनिवार्य रूप से पायी जाती है। लोकतांत्रिक, सर्वसत्तावादी एवं विकासशील राज–व्यवस्थायें भी इसका अपवाद नहीं है। राजनीतिक दल किसी राज–व्यवस्था के संचालन एवं रक्षा के साधन होते हैं, अतः किसी राज–व्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार ही उसकी दलीय व्यवस्था होती है। दबाव समूह प्रशासकीय ढांचे से बाहर रहकर शासीय अधिकारियों के निर्वाचन, मनोनयन, सार्वजनिक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। शासन की तानाशाही से जनता की रक्षा करते हैं ।

सन्दर्भ सूची

(I) Prof. CB Gena, Comparative Politics and Institutions, Vikas Publishing House, Delhi

(II) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(III) Garner, Political Science and Government, Laxminarayan Aggarwal, Agra

(IV) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशस

(V) सार्टोरी : पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टमःऐ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयार्क, 1776

Jayoti Vidyapeeth Women's University

Contact Us:

University Campus Address:

Jayoti Vidyapeeth Women's University

Vadaant Gyan Valley, Village-Jharna, Mahala Jobner Link Road,

Jaipur Ajmer Express Way, NH-8, Jaipur- 303122, Rajasthan (INDIA)

(Only Speed Post is Received at University Campus Address, No. any Courier Facility is available at Campus Address)

Pages : 45

Book Price : ₹ 150/-

Women University Press

JPD

Jayoti Publication Desk

Year & Month of Publication- 18/11/2022